

The Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002

Act 14 of 2002

Keyword(s): Stamp Duty, Treasury

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



सरकारी गजट, उत्तरांचल

उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क) (उत्तरांचल अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 21 दिसम्बर, 2002 ई0 अग्रहायण 30, 1924 शक सम्वत्

> उत्तरांचल शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 460/विधायी एवं संसदीय कार्य/2002 देहरादून, 21 दिसम्बर, 2002

> अधिसू<u>चना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तरांचल विधान समा द्वारा पारित भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002 को दिनांक 21–12–2002 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002

(उत्तरांचल अधिनियम संख्या 14, सन् 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में विधान समा द्वारा अधिनियमित)

भारतीय स्टाम्य अधिनियम, 1899 का उत्तरांचल राज्य में प्रवृत्ति के संबंध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए-

अधिनियम

संक्षिप्त 1- (1) यह अधिनियम भारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अधिनियम, 2002, कहा जोयगा। नाम,

विस्तार 🧘 (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल में होगा।

और

मः (3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।

अधिनियम 2— भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की (अनुसूची 1-ख) में,

सं0 2 सन्

1899

(क) . अनुच्छेद ३५ (पट्टा) में,—.....

की (एक) ख

(एक) खण्ड(क) में, उपखण्ड (VI), (VII) और (VIII) के स्थान पर निम्नलिखित

(अनुसूची जपखण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात:-

1—ख) का

संशोधन

'(VI) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये या शाश्वता के लिये तात्पर्यित है या किसी निश्चित अवधि के लिये तात्पर्यित नहीं है,

वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के, को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0-23 खण्ड (क) पर देय हो।"

Hŧ

(दो) खण्ड (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात:-

(ख) जहाँ कि पहा किसी नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई भाटक आरक्षित नहीं है:--

(एक) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,

(दो) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक

वहीं शुक्क जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पट्टा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0–23 खण्ड (क)) पर देय हो।

वहीं शुल्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो,

अवधि के लिये तात्पर्यित है.

TI

याजार, मूल्य के, बराबर प्रतिफल वाले हस्तारण पत्र (सं0-23 खण्ड(क)) पर देय हो,

(ग) जहाँ कि पट्टा आरक्षित किये गये भाटक के अतिरिक्त किसी नजराना या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये घन के लिये मन्जूर किया गया है:--

(एक) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अनधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,

वहीं शुल्क हो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो पहा में उपवर्णित है, बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (स0-23 खण्ड (क)) पर देय हो और जो उस शुल्क के अतिरिक्त होगा जो उस दशा में, जिसमें कि कोई नजराना या प्रीमियम या अग्रिम धन नहीं दिया गया है या परिदत्त नहीं किया गया है, ऐसे पट्टे पर देय होता-

परन्तु किसी भी दशा में जब पट्टा करने का करार, पट्टे के लिये अपेक्षित मूल्यानुसार स्टाम्प से स्टाम्पित है, और ऐसे करार के अनुसरण में पट्टा तत्पश्चात निष्पादित किया गया है, तब ऐसे पट्टे पर शुक्क पचास रूपये से अधिक नहीं होगा। वहीं शुक्क जो सम्पत्ति के,को पट्टे की विषय वस्तु हो, बाजार मूल्य के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र (सं0-23 खण्ड(क)) पर देय हो।

(दो) जहाँ कि पट्टा तीस वर्ष से अधिक अवधि के लिये तात्पर्यित है,

(तीन) स्पष्टीकरण (5) निकाल दिया जायेगा।

1,7

निरसन 3-मारतीय स्टाम्प (उत्तरांचल संशोधन) अध्यादेश, 2002 (अध्यादेश सं0 5, वर्ष 2002) एतद्झारा निरसित किया जाता है।

> आज्ञा से, (यू0 सी0 घ्यानी) अपर सचिव।

No. 460/Vidhayee And Sansadiya Karya/2002 <u>Dated Dehradun, December 21, 2002</u>

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002 (Uttaranchal Adhiniyam Sankhya 14 of 2002).

As passed by the Uttaranchal Legislative Assembly and assented by the Governor on December 21, 2002.

THE INDIAN STAMP (UTTARANCHAL AMENDMENT) ACT, 2002

(UTTARANCHAL ACT No. 14 OF 2002)

 A_N

Act

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to Uttaranchal.

It is hereby enacted in the Fifty Third year of the Republic of India as follows:-

Short title 1. extent &

Commencement

- (1) This Act may be called the Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Act, 2002.
- (2) It shall extend to the whole of Uttaranchal.
- (3) It shall come into force on such date as the State
 Government may, by notification, appoint in this
 behalf.

Amendment of (Schedule 1-B of Act. No. II of 1899)

 $\mathfrak{J}_{i} \leftarrow$

In (schedule 1-B) of the Indian Stamp Act, 1899:-

- (a) In Article 35(Lease)-
- (i) in Clause (a) for sub-Clause (VI), (VII), and (VIII), the following clauses shall be substituted, namely,

"(VI) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years or in perpetuity or does not purport to be for any definite term.

The same duty as a Conveyanace (No.23 Clause(a)), for a consideration equal the market value of property which is the subject of the lease."

- (iii) for clause (b) and (c), the following clause shall be substituted, namely:-
- (b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved:-
- (i) Where the lease purport to be for a term not exceeding thirty years;

The same duty as a Conveyance (No.23 Clause (a)), for a consideration equal to amount or the value of such fine or premium or advance as setforth in the lease.

(ii) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years;

The same duty as a conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal to the market value of property which is the subject of the lease.

- (c) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to the rent reserved:-
- (i) Where the lease purports to be for a term not exceeding thirty years;

The same duty as Conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered;

Provided that in a case when an agreement to lease is stamped with the ad-valorem stamp required for lease, and a lease in pursuance of such an agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed Fifty Rupees.

The same duty as Conveyance (No.23 Clause(a)), for a consideration equal the market value of property, which is the subejet of the lease.

(iv) Where the lease purports to be for a term exceeding thirty years;

(v) Explanation (5) shall be omitted.

Repeal 3-The Indian Stamp (Uttaranchal Amendment) Ordinance, 2002 (Ordinance No. 05 of 2002) is hereby repealed.

By Order,

(U. C. DHYANI)

Addl. Secy.

. पी०एस०यू० (आर०ई०) ३२ विघाधी/565—2002—500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

